प्रेस विज्ञप्ति

31.03.2026

ईडी ने सरकारी सब्सिडी के धोखाधड़ीपूर्ण दावे से संबंधित मामले में आइज़ॉल में प्रथम अभियोजन शिकायत दायर की।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आइज़ॉल उप-आंचलिक कार्यालय ने दिनांक 30.03.2026 को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 45, सहपठित धारा 44 के तहत, पीएमएलए, 2002 की धारा 43(1) के अधीन स्थापित माननीय विशेष न्यायालय, आइज़ॉल के समक्ष रवि गुलगुलिया एवं अन्य के विरुद्ध धनशोधन के अपराध के लिए अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।

ईडी ने मिज़ोरम पुलिस, आइज़ॉल के एसीबी द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी के आधार पर जाँच प्रारम्भ की। तत्पश्चात्, एसीबी, मिज़ोरम पुलिस द्वारा आरोप पत्र संख्या 03/2019 दिनांक 30.05.2019 को सक्षम न्यायालय के समक्ष दायर किया गया।

पीएमएलए के अंतर्गत की गई जाँच में यह उद्घाटित हुआ कि रवि गुलगुलिया ने डॉ. मार्गरेट एम. वार्टे के साथ आपराधिक साज़िश कर मिज़ोरम, आइज़ॉल के निकट मेसर्स मिज़ो कार्बन प्रोडक्ट्स (एमसीपी) के नाम से एक कोक उत्पादन इकाई स्थापित की, जिसका उद्देश्य केन्द्र सरकार की सब्सिडी को धोखाधड़ीपूर्वक प्राप्त करना था। जाँच में यह स्थापित हुआ कि उक्त इकाई दावा किए गए अवधि के दौरान संचालित ही नहीं थी तथा उत्पादन, माल के परिवहन, कच्चे माल की खरीद और डीज़ल उपभोग से संबंधित विभिन्न मनगढ़ंत एवं जाली दस्तावेज़ तैयार कर प्रस्तुत किए गए थे, ताकि धोखाधड़ीपूर्वक केन्द्रीय परिवहन सब्सिडी (सीटीएस) लगभग रु. 2.47 करोड़ तथा केन्द्रीय पूंजी निवेश सब्सिडी (सीसीआईएस) लगभग रु. 93.90 लाख का दावा किया जा सके। इस धोखाधड़ी के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय कुल मिलाकर लगभग रु. 3.41 करोड़ है।

ईडी की जांच में यह भी उजागर हुआ कि सब्सिडी की राशि प्राप्त होते ही अपराध की आय को व्यवस्थित रूप से विपथित (डायवर्ट) किया गया तथा रवि गुल्गुलिया द्वारा नियंत्रित विभिन्न संस्थाओं एवं बैंक खातों, जैसे रवि गुलगुलिया एंड संस (एचयूएफ), मेसर्स शिवरात्रि कमोडिटीज़ प्रा. लि., मेसर्स थर्डवेव सप्लायर्स प्रा. लि., मेसर्स गुलगुलिया ट्रेड कॉरपोरेशन एवं मेसर्स यश मार्केटिंग इंडिया, के माध्यम से परतदार (लेयर) किया गया। धनराशि को परिपथीय (सर्कुलर) लेन-देन के माध्यम से हस्तांतरित (रूट) किया गया, विभिन्न किस्तों में विभाजित किया गया तथा अंततः मुख्य आरोपित के व्यक्तिगत खातों एवं रवि गुलगुलिया द्वारा नियंत्रित एक साझेदारी फर्म मेसर्स ग्लोबल एन्ट्रेड में एकीकृत किया गया, जिसने रु. 45 लाख की अवैध राशि प्राप्त की।

इस मामले में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पीएमएलए, 2002 की धारा 5 के तहत पारित अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से रु. 38.40 लाख मूल्य की अचल संपत्तियों को पहले ही अनंतिम रूप से कुर्क किया जा चुका है।

आगे की जांच जारी है।